अनुदान संख्या 93 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
GRANT No. 93 - DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	13478,60,00	13478,61,00	10373,20,79	-3105,40,21
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3105,40,12
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		61,04,00	35,79,10	-25,24,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				25,24,88

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय – सामाजिक सेवाएँ	Major Head "2251" Secretariat-Social Services				
मू.	O.	6185.00	7544.11	7544.10	-0.01
पु.	R.	1359.11			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	190094.00	127724.69	127724.63	-0.06
पु.	R.	-62369.31			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	82050.00	63332.34	63332.34	..
पु.	R.	-18717.66			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	45659.00	..	..	..
पु.	R.	-45659.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1017568.00	837423.98	837423.96	-0.02
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-180145.02			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	6300.00	1294.61	1294.61	..
पु.	R.	-5005.39			

(I) ₹45859.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹45225.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹45859.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these ₹45225.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "सामाजिक कल्याण – मद्य निषेध – राष्ट्रीय ड्रग्स मांग कटौती कार्य योजना" – ₹4500.00 लाख;

(A) "Social Welfare - Prohibition - National Action Plan for Drug Demand Reduction" - ₹4500.00 lakhs;

(खा) "पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा – आबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया के तहत पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम यशस्वी)" – ₹13200.00 लाख; और

(B) "Welfare of Backward Classes - Education - PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs" - ₹13200.00 lakhs; and

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना" – ₹27525.00 लाख;

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Scheme for Development of Scheduled Castes" - ₹27525.00 lakhs;

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रह गया।

Provisions under the above three heads remained wholly unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2225" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(II) Under Major Head "2225" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(क) "मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति" – ₹4255.49 लाख की बचत (₹5950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति और कम प्रशासनिक व्यय के कारण हुई।

(ख) "नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र का सुदृढ़ीकरण" – ₹523.12 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति और कम प्रशासनिक व्यय के कारण हुई।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए युवा उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस)" – ₹2213.98 लाख की बचत (₹42675.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्रही (पीएम दक्ष) योजना" – ₹2868.00 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपयुक्त दो शीर्षों के अंतर्गत आवेदकों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा कम प्रशासनिक व्यय के कारण हुई।

(ङ) "प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)" – ₹6647.18 लाख की बचत (₹7700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(च) "अनुसूचित जातियों के लिए लक्षित क्षेत्र में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (एसआरईएसएचटीए)" – ₹2229.05 लाख की

(A) "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Post Matric Scholarships" - saving of ₹4255.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5950.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals towards advertising and publicity and less administrative expenses.

(b) "Strengthening of Machinery for Enforcement of Protection of Civil Right Act 1955 and Prevention of Atrocities Act 1989"- saving of ₹523.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals and less administrative expenses.

(c) "Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for SCs" - saving of ₹2213.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42675.00 lakhs); and

(d) "Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM DAKSH) Yojana" - saving of ₹2868.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs).

Saving under the above two heads were due to receipt of less proposals from applicants and less administrative expenses.

(e) "Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhuday Yojana (PM AJAY)" - saving of ₹6647.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7700.00 lakhs); and

(f) "Scheme of Residential Education for Students in High School in Targeted Area (SRESHTA) for SCs" - saving of ₹2229.05

बचत (₹13207.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा कम प्रशासनिक व्यय के कारण हुई।

(छ) "अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति" – ₹524.84 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ज) "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य योजना (नमस्ते)" – ₹8130.17 लाख की बचत (₹11694.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "पिछड़े वर्गों का कल्याण" –

(क) "आर्थिक विकास – प्रधानमंत्री दक्षता और कुशालता सम्पन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना" – ₹2192.00 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय के कारण हुईं।

(ख) "शिक्षा – ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया (पीएम यशस्वी) के तहत पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना" – ₹43334.00 लाख की बचत (₹70680.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति के लिए कम निधियां की आवश्यकता होने, विज्ञापन और प्रचार के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति और कम प्रशासनिक व्यय के कारण हुई।

(गा) "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग" – ₹1068.85 लाख की बचत (₹1850.00

lakhs (against the sanctioned provision of ₹13207.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies and less administrative expenses.

(g) "Pre Matric Scholarship for SCs and Others" - saving of ₹524.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs);

(h) "National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem (NAMASTE)"- saving of ₹8130.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11694.00 lakhs); and

(B) "Welfare of Backward Classes" -

(a) "Economic Development - Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM DAKSH) Yojana"- saving of ₹2192.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals and less administrative expenses.

(b) "Education - PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs" - saving of ₹43334.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70680.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards scholarships, receipt of less proposals for advertisement and publicity and less administrative expenses.

(C) "General - Direction and Administration - National Commission for Backward Castes" - saving

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम प्रस्तावों की प्राप्ति, कम प्रशासनिक व्यय और मितव्ययिता उपायों के कारण हुई।

of ₹1068.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1850.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less proposals, less administrative expenses and austerity measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(का) "वृद्ध, अशक्त और निराश्रित का कल्याण" –

(A) "Welfare of Aged, Infirm and Destitute" -

(क) "अटल वायु अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)" – ₹3478.91 लाख की बचत (₹16400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY)" - saving of ₹3478.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16400.00 lakhs); and

(ख) "अटल वायु अभ्युदय योजना – सीएस (एवीवाईएवाई–सीएस)" – ₹1743.29 लाख की बचत (₹27944.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Atal Vayo Abhyuday Yojana - CS (AVYAY-CS)" - saving of ₹1743.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27944.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा कम प्रशासनिक व्यय के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals and less administrative expenses.

(खा) "मद्य–निषेध – नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)" – ₹4844.98 लाख की बचत (₹24900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर सरकारी संगठनों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय के कारण हुई।

(B) "Prohibition - National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR)" - saving of ₹4844.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from NGOs and less administrative expenses.

(गा) "सुधारात्मक सेवाएं – आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल)" – ₹8367.06 लाख की बचत (₹9846.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति, कम प्रशासनिक व्यय और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(C) "Correctional Services - Support for Marginalized Individuals for Livelihood & Enterprise (SMILE)" - saving of ₹8367.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9846.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, less administrative expenses and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – अन्य कमजोर वर्गों (पिछड़े वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित) के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम" – ₹3113.99 लाख की बचत (₹11100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Central Assistance/Share - Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups (including Backward Classes and Differently Abled Persons)" - saving of ₹3113.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11100.00 lakhs);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना" – ₹183885.83 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹907949.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes)" - saving of ₹183885.83 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹907949.00 lakh including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024);

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाओं" के अंतर्गत –

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया के तहत पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम यशस्वी)" – ₹590.66 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Central Assistance/Share - PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs" - saving of ₹590.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs); and

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना" – ₹4397.35 लाख की बचत (₹4600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes" - saving of ₹4397.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4600.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचत, राज्य सरकारों द्वारा एकल नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से निधियां जारी करने में विलंब, राज्यों से उपयोग प्रमाण–पत्र और प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब होने तथा अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to delay in implementation of release of funds through Single Nodal Agency module by State Governments, delay in submission of Utilization Certificates and proposals by States and availability of unspent balances.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹417.85 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 84 प्रतिशत है।

(VI) Under one head saving of ₹417.85 lakhs occurred constituting 84 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:–

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" – ₹1359.10 लाख का अधिक व्यय (₹6185.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने, एलआईसी भवन में कार्यालय स्थल का किराया, आउटसोर्स स्टाफ और परामर्शदाताओं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मरम्मत और रखरखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "2225" –

(का) "अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना" – ₹548.00 लाख का अधिक व्यय (₹601.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "पिछड़े वर्गों का कल्याण" –

(क) "आर्थिक विकास – वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना" – ₹794.00 लाख का अधिक व्यय (₹401.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सब्सिडी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "शिक्षा – ओबीसी और ईबीसी के लिए युवा उपलब्धि प्राप्तकर्ता योजना (श्रेयस) के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति" – ₹7767.71 लाख का अधिक व्यय (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रों के लिए फैलोशिप हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग" – ₹3204.61 लाख का अधिक व्यय (₹3550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भत्ते, परियोजना प्रबंधन इकाइयों, कानूनी सलाहकारों को वेतन का भुगतान और नई दिल्ली नगर निगम को कार्यालय स्थान के

(I) Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Social Justice and Empowerment" - excess of ₹1359.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6185.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards filling up of vacant posts, rent of office space at LIC building, outsourced staff and consultants, medical re-imbursement and repair and maintenance.

(II) Major Head "2225" -

(A) "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ki Arthik Sahayata (VISVAS) Yojana"- excess of ₹548.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹601.00 lakhs); and

(B) "Welfare of Backward Classes"-

(a) "Economic Development - Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ki Arthik Sahayata (VISVAS) Yojana" - excess of ₹794.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹401.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards subsidies.

(b) "Education - Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for OBCs and EBCs" - excess of ₹7767.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards fellowship for students.

(C) "General - Direction and Administration - National Commission for Scheduled Castes" - excess of ₹3204.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3550.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards allowances, payment of

किराए के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

salaries to Project Management Units, Legal Consultants and rent to New Delhi Municipal Corporation for office space.

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं– केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम यशस्वी)" के अंतर्गत ₹6854.78 लाख का अधिक व्यय (₹98520.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष में किए जाने के कारण हुआ।

(III) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs" - excess of ₹6854.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹98520.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional head for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4225"	Major Head "4225"				
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	5003.00	2950.66	2950.66	..
पु.	R.	-2052.34			

(I) ₹1003.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1000.00 लाख अकेले "अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि" के अंतर्गत भारतीय

(I) Provision of ₹1003.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹1000.00 lakhs alone accounted for under "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Venture Capital Fund for SCs and

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मांग न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) "सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि" के अंतर्गत ₹1049.34 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹431.77 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 73 प्रतिशत थी।

OBCs" due to no demand by Industrial Finance Corporation of India.

(II) Under "General - Investments in Public Sector and other undertakings - Venture Capital Fund for SCs and OBCs" - saving of ₹1049.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) - was due to no demand by Industrial Finance Corporation of India.

(III) Under one head saving of ₹431.77 lakhs occurred constituting 73 percent of the sanctioned provision.